भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 183
सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

बाल श्रमिकों की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन

183. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार के पास बाल श्रमिकों के रोजगार के बारे में सूचना देने वालों को राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाल श्रम रोजगार के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मुखबिरों को ऐसे प्रोत्साहन की घोषणा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): चूंकि, श्रम, समवर्ती सूची में आता है, आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ): वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****